



विश्व बैंक सहायतित
उत्तराखण्ड आगरा पुर्जिमीय योजना ०आई०य०(सेतु, सिंचाइ एवं स्लोप), यू०डी०आर०पी०-१०एफ०, उत्तराखण्ड, देहरादून

OFFICE OF PROGRAMME MANAGER, PIU (BRIDGE, IRRIGATION & SLOPE), UDRP-AF, UTTARAKHAND, DEHRADUN
(डी०डी०पी०एम०टॉवर, चतुर्थतल, हरिद्वारबाईपासरोड, अजबपुर खुर्द, देहरादून-248001)



E-mail: pwd.wb.uk@gmail.com

पत्रांक :- २१६२/३६/UDRP.AF/2020

दिनांक:- २२/०९/२०२०

सेवा में,

परियोजना निदेशक
पी.एम.यू.(यू.डी.आर.पी.-ए.एफ.)
देहरादून।

विषय:- श्री कमलेश्वर प्रसाद भट्ट की ग्रीवान्स के निस्तारण के सम्बन्ध में

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक / 124/PMU/UDRP-AF/2020, दिनांक 22.09.2020।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में श्री कमलेश्वर प्रसाद भट्ट, ग्राम-बागी, पो०- धौंतरी, जिला उत्तरकाशी द्वारा की गई शिकायत, कि बागी गाँव में बिना किसी अनुमति या सूचना के उनके स्वामित्व वाली भूमि में सेतु का निर्माण किया जा रहा है, पर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये थे।

उक्त के सम्बन्ध में महोदय को अवगत कराना है कि, यू०डी०आर०पी०-१०एफ के अन्तर्गत बागी गाँव गाजणा पैदल मार्ग पर जलकुर नदी के ऊपर 42 मी० स्पान स्टील ट्रस सेतु के निर्माण के लिए सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण हेतु दिनांक 04.05.2019 को वन विभाग, राजस्व विभाग, व विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि० उत्तरकाशी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया था। संयुक्त निरीक्षण के दौरान उक्त सेतु के निर्माण के प्रयोजन हेतु सिविल सोयम भूमि के 0.060 हेठो क्षेत्रफल को उचित पाया गया।

उपरोक्त प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि का भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, उत्तरकाशी द्वारा जिलाधिकारी उत्तरकाशी को प्रेषित किया गया। इस क्रम में उपजिलाधिकारी डुण्डा, से प्राप्त आख्यानुसार ग्राम बागी पट्टी गाजणा तहसील डुण्डा के नॉन जेड०ए० में दर्ज खाता संख्या-21 में दर्ज खसरा संख्या-67 म० रकवा 0.024 हेठो, खसरा संख्या-70म० रकवा 0.006 हेठो, खसरा संख्या-74 म० रकवा 0.030 हेठो कुल 0.060 हेठो भूमि जो उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9 (3) ड) में दर्ज है को जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक-1967/ग्राहर-विविध-बागी /2019 दिनांक-04 जनवरी, 2020 द्वारा अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, उत्तरकाशी के नाम हस्तान्तरित/नामान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः उपरोक्त आख्यानुसार स्पष्ट है, कि कमलेश्वर प्रसाद भट्ट, ग्राम बागी, तहसील-धौंतरी, जिला उत्तरकाशी की कोई भी निजी भूमि उपरोक्त पैदल सेतु के निर्माण कार्य हेतु प्रयोग में नहीं लाई जा रही है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।



(इ. दयानन्द)

उप कार्यक्रम प्रबन्धक,
पी.आई.यू.-स्लोप, सेतु एवं सिंचाइ
यू.डी.आर.पी.-ए.एफ., देहरादून।

प्रतिलिपि:-

- शिकायतकर्ता, श्री कमलेश्वर प्रसाद भट्ट, ग्राम-बागी, पो०- धौंतरी, जिला उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।
- अधिशासी अभियन्ता, यू.डी.आर.पी.-ए.एफ. खण्ड, उत्तरकाशी को उनके पत्रांक / 339/बागी-गाँव/विश्व बैंक खण्ड/2020 द्वारा दी गई आख्या के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(इ. दयानन्द)

उप कार्यक्रम प्रबन्धक,
पी.आई.यू.-स्लोप, सेतु एवं सिंचाइ
यू.डी.आर.पी.-ए.एफ., देहरादून।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड, यू0डी0आर0पी0—ए0एफ0, उत्तरकाशी।

फोन नं0. :- 01374—222007
 फैक्स नं0.—
 ईमेल :- ee.wb.pwd.uk01@gmail.com



होटल मौं शक्ति
वार्ड नंबर-11, ज्ञानसू
उत्तरकाशी
पिनकोड़ :- 249193

पत्रांक :- / बागी—गाँव/विश्व बैंक खण्ड/2020

दिनांक:- 21 / 09 / 2020

सेवा में,

उपकार्यक्रम प्रबन्धक
 पी0आई0यू0 (स्लोप, सेतु एवं सिंचाई),
 यू0डी0आर0पी0—ए0एफ0, देहरादून,

विषय:-

अनुबन्ध संख्या-192—यू0डी0आर0पी0/ए0एफ0/बी0आर0/90 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में सत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत विश्व बैंक की अतिरिक्त फाइनैरिंग में स्वीकृत लुण्डा ब्लॉक के बागी गाँव गाजणा पैदल मार्ग पर जलकुर नदी के ऊपर 42 पी0 रपान रुटील ट्रस सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-
 महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि जनपद उत्तरकाशी में उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत विश्व बैंक की अतिरिक्त फाइनैरिंग में स्वीकृत लुण्डा ब्लॉक के बागी गाँव गाजणा पैदल मार्ग पर जलकुर नदी के ऊपर 42 पी0 रपान रुटील ट्रस सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में इस खण्ड के पत्र संख्या-618/बागी गाँव/विश्व बैंक खण्ड/2019 दिनांक-24.10.2019 के द्वारा उक्त सेतु निर्माण हेतु 0.060 हेठो सिविल सोयग भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9 (3) ड) का प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0गि0वि0, उत्तरकाशी के नाम हस्तान्तरित करने हेतु जिलाधिकारी महोदय, उत्तरकाशी को प्रेषित किया गया था।

इस क्रम में उपजिलाधिकारी लुण्डा, से प्राप्त आख्यानुसार ग्राम बागी पट्टी गाजणा तहसील लुण्डा में जॉन जेड0ए0 में दर्ज खाता संख्या-21 में दर्ज खसरा संख्या-67ग, रकवा 0.024 हेठो, खसरा संख्या-70ग, रकवा 0.006 हेठो, खसरा संख्या-74ग, रकवा 0.030 हेठो कुल 0.060 हेठो भूमि जो उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9 (3) ड) में दर्ज है को जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के पत्रांक-1967/ग्याहर-बागी/2019 दिनांक-04 जनवरी, 2020 द्वारा अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0गि0वि0, उत्तरकाशी के नाम हस्तान्तरित/नामान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित आख्यानुसार रपष्ट है कि श्री कमलेश्वर प्रसाद भट्ट, ग्राम बागी, तहसील-धौतरी, जिला उत्तरकाशी की कोई भी निजी भूमि उपरोक्त पैदल सेतु के निर्माण कार्य हेतु प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

शब्दीय,

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक :- 339/ बागी—गाँव/विश्व बैंक खण्ड/2020

दिनांक:- 21 / 09 / 2020

प्रतिलिपि :- श्री कमलेश्वर प्रसाद भट्ट, ग्राम बागी, तहसील-धौतरी, जिला उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

शासनादेश प्रदेशी अधिकारी
पृष्ठ ३५ का अग्रलोगिंग उत्तरकाशी
पृष्ठ प्राप्ति तिथि ०३ जनवरी २०२०
प्राप्ति ११.०१.२०२०

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड लो०निंवि० उत्तरकाशी के पत्र संख्या ६१८/बागी गाँव/विश्व बैंक खण्ड/२०१९ दिनांक २४.१०.२०१९ के द्वारा अवगत कराया गया है, कि उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या ४१२/PMU/२०१९/UDRP Dehradun दिनांक ०३ जनवरी, २०१९ द्वारा यू०डी०आर०प० (Additional Financing) के अन्तर्गत उक्त विषयक स्पान ४२ मी० सेतु निर्माण किया जाना है जिसके लिये उत्तराखण्ड सरकार वर्ग-७ (३)ड. की भूमि हस्तान्तरण किये जाने का अनुमोदि किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण हेतु संयुक्त निरीक्षण दिनांक ०४.०५.२०१९ को बन विभाग, राजस्व विभाग व विश्व बैंक खण्ड लो०निंवि० उत्तरकाशी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया, जो पत्रावली के पत्राका "ब" पर संलग्न है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान उपरोक्त प्रयोजन हेतु उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व वर्ग (३)ड. में दर्ज खाता संख्या २१ खसरा संख्या ६७८. रक्वा ०.०२४ है०, खसरा संख्या ७०८. रक्वा ०.००६ है०, खसरा संख्या ७४२८. रक्वा ०.०३० है० कुल ०.०६० है० भूमि प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि के अंतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। उक्त सेतु निर्माण कार्य में चीड़ प्रजाति का एक वृक्ष प्राप्तावित होगा जिसका सेतु निर्माण कार्य में पातन किया जाना अति आवश्यक है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, झुण्डा ने अपने पत्र संख्या ७१/वै०सहा०-विविध भूमि पत्रा/२०१९-२० दिनांक ०१ जनवरी २०२० के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम बागी पूरी याजना उप तहसील धौतरी में अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड लो०निंवि० उत्तरकाशी के द्वारा ४२ मीटर स्पान सेतु के निर्माण कार्य हेतु खसरा संख्या ६७८. रक्वा ०.०२४ है०, खसरा संख्या ७०८. रक्वा ०.००६ है०, खसरा संख्या ७४२८. रक्वा ०.०३० है० कुल ०.०६० है० भूमि जो कि नाप भूमि है एवं उक्त भूमि पर मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक २६.१०.२०१७ निष्प्राभावी है का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है।

शासनादेश संख्या १८८७/XVIII(II)/२०१५-१४(१६९) दिनांक ३० जुलाई, २०१५ एवं शासनादेश संख्या १११/XXVII(II)/५०३९-२०१५/२०१४ दिनांक ०९ जुलाई, २०१५ तथा कार्यालय ज्ञाप सं० २६०/वै०अनु०-०३/२००२ दिनांक १५ फरवरी, २००२ जिसमें उल्लेख किया गया है कि "उन परियोजनाओं/भवनों के निर्माण हेतु राज्य सरकार की भूमि (शासकीय विभाग की भूमि को छोड़कर) एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तान्तरित करने का अधिकार तत्काल प्रभाव से पूर्व निर्मित आदेश दिनांक १५ फरवरी २००२ में निहित शर्तों के अधीन जिलाधिकारियों को प्रदान किया जाता है"। शासनादेश संख्या २३७/xviii(11)/२०१८-०७(८३)/२००८ दिनांक ०८.०२.२०१९ के अनुसार मा० उच्च न्यायालय के आदेश का प्रभाव उसी भूमि पर पड़ेगा जो बेनाप श्रेणी में आती हो। ऐसी स्थिति में यह विषय राजस्व विभाग/जिलाधिकारी के ही क्षेत्राधिकार का होगा कि किरी भूमि विशेष के बारे में "नाप" होने अथवा "बेनाप" होने के बारे में स्पष्ट कर ले और तरोपरान्त ही समस्त नियमों का पालन सुनिश्चित करो। उक्त शासनादेश के अनुपालन में जिला शासकीय अधिवक्ता की विधिक राय के अनुसार वर्ग ७(३)ड० की भूमि नॉन जेड ए.खौतीनी में अंकित की जाने वाली राज्य सरकार की स्वामित्व की भूमि होती है जिसमें खसरा नम्बर एवं उनका क्षेत्रफल अंकित होता है, ऐसी भूमि नाप भूमि के अन्तर्गत आती है। जिस भूमि पर कोई खसरा नम्बर एवं क्षेत्रफल अंकित नहीं होता है वह भूमि बेनाप भूमि की श्रेणी में आती है। शासनादेश संख्या

1566/14-2-97-800/1997 दिनांक 17 मार्च 1997 के प्रस्तर-02 में उल्लिखित किया गया है कि जो भूमि डिमार्केटिड नहीं है वह बेनाप भूमि की श्रेणी में रक्षित बन हो गये है।

शासनादेश संख्या 883(1)/x-3-2011-8(2)/2010 दिनांक 04 अक्टूबर 2011 में अधिसूचना संख्या 869एफ/638 दिनांक 17.10.1893 जिसके अन्तर्गत तत्समय गढ़वाल, अल्मोड़ा व नैनीताल जिले के नैनीताल सब डिविजन के गांवों की ऐसी बेनाप बन तथा बंजर भूमि जो आरक्षित बन में सम्मिलित नहीं थी, को रक्षित बन घोषित किया गया था को अधिसूचना संख्या 860/x-3-2011-8(2)/2010 दिनांक 28.09.2011 के हारा विखण्डित किए जाने के उपरांत अब प्रभावी नहीं है। वर्तमान समय में उत्तरकाशी जनपद में कोई बेनाप भूमि नहीं है।

अतः उक्त शासनादेशों में दिये गये प्राविधानों के कम में संयुक्त निरीक्षण आख्या एवं जिला शासकीय अधिकरक्ता(सिविल) को विधिक रूप एवं उप जिलाधिकारी, झुण्डा से ग्राप्त आख्यानुसार ग्राम बागी और गाजणा तहसील झुण्डा में नैन जेड0ए० में दर्ज खाता संख्या 21 में दर्ज खाता संख्या 21 खसरा संख्या 67म. रक्वा 0.024 है०, खसरा संख्या 70म. रक्वा 0.006 है०, खसरा संख्या 74म. रक्वा 0.030 है० कुल 0.060 है० भूमि जो उत्तराखण्ड सरकार वर्ग १३(१) में दर्ज है को अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०ग्नि०वि० उत्तरकाशी के नाम हस्तान्तरित/नामान्तरित करने की स्वीकृति एवंद्वारा प्रदान की जाती है।

ह०/-

(ग्रा० आशीष चौहान)

जिलाधिकारी,

उत्तरकाशी।


कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 1967/प्रारह-विविध-ज्ञानक/2019

दिनांक ०५ जनवरी, 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- उप जिलाधिकारी, झुण्डा।
- २- तहसीलदार, झुण्डा।
- ३- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०ग्नि०वि० घटवाड़ी।
- ४- अधिशासी अभियन्ता, बिश्व लैक खण्ड लो०ग्नि०वि० उत्तरकाशी।



प्रभारी अधिकारी,

कृते-जिलाधिकारी,

उत्तरकाशी।

४/१/२०२०

By hand

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी**

फोन नं.:— 01374-222007	World Bank Funded DEHRADUN DISASTER RECOVERY PROJECT UDRP	होटल में शपित वार्ड नम्बर-11, ज्ञानसू उत्तरकाशी पिनकोड़ :— 249193
फैक्स नं.:— ईमेल — ee.wb.pwd.uki01@gmail.com		

पत्रांक :— 618 / बागी गौव / विश्व बैंक खण्ड / 2019

दिनांक:— 24/10/2019

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय
उत्तरकाशी।

विषय:—

जनपद उत्तरकाशी में उत्तराखण्ड डिजार्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत विश्व बैंक की अतिरिक्त फाइनैन्सिंग में स्वीकृत खण्ड ब्लॉक के बागी गौव जाजणा पैदल भार्ग पर जलकुर नदी के ऊपर 42 फीटर रपान के स्टील द्रस्त पैदल सेतु के निर्माण हेतु सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषयक में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या का पत्रांक 412/PMU/2019/UDRP Dehradun दिनांक 03 जनवरी 2019 द्वारा यू०डी०आ०पी० (Additional Financing) के अन्तर्गत उक्त विषयक सेतु जिसका रपान 42 मी० है का निर्माण किया जाना है। उक्त सेतु निर्माण हेतु 0.060 ह०० सिविल सोयम भूमि की आवश्यकता है। उक्त सिविल सोयम भूमि (उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9 (3) ड.) का प्रस्ताव संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः कृपया उक्त सिविल सोयम भूमि के प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि को अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी के नाम हस्तागत करने की कृपा करें।

संलग्न: प्रस्ताव हेतु प्रति (मूल प्रति सहित)।

भवदीय

Ganesh
(इ० गौरव चैप्लियाल)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक :— 618 / बागी गौव / विश्व बैंक खण्ड / 2019

दिनांक:— 24/10/2019

प्रतिलिपि निर्माकित को रूचनार्थ प्रेषित:—

- 1— भुख्य अभियन्ता विश्व बैंक पी०आ०ई०य० (रोड एण्ड लिज) यू०डी०आ०पी० देहरादून।
- 2— अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक वृत्त, लो०नि०वि०, नई दिल्ली।
- 3— अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी।
- 4— अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, उत्तरकाशी।

Ganesh
अधिशासी अभियन्ता

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

कार्य का नाम :-

जनपद उत्तरकाशी में उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत विश्व बैंक की अतिरिक्त फाइनैरिंग में रखीकृत झुण्डा ब्लॉक के बागी गाँव गाजणा पैदल मार्ग पर जलकुर नदी के ऊपर 42 मी० स्पान रटील ट्रस पैदल सेतु के निर्माण हेतु सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।


जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में विश्व बैंक पोषित योजना के अन्तर्गत बागी गाँव गाजणा पैदल मार्ग पर जलकुर नदी के ऊपर 42 मी० स्पान रटील ट्रस पैदल सेतु का निर्माण किया जाना है। जिसके क्रम में सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण कार्यदायी संस्था विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी को किया गया है। सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण हेतु दिनांक 04/05/2019 को कन विभाग, राजस्व विभाग व विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया।

संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री महावीर सिंह खरोला, अनुभाग अधिकारी, बागी, मुख्येम रेज, राजस्व विभाग की ओर से श्री प्रेम सिंह मखलोगा, राजस्व उपनिरीक्षक धौतरी व कार्यदायी संस्था की ओर से श्री अभिषेक तिवारी, सहायक अभियन्ता, श्री सतेन्द्र सिंह परमार, श्री रजनीश उनियाल, कनिष्ठ अभियन्ता विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी द्वारा प्रतिभाग किया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान उपरोक्त प्रयोजन हेतु कन भूमि का विवरण इस प्रकार है—

सिविल भूमि का क्षेत्रफल	—	0.060 है०
कुल वन भूमि का क्षेत्रफल	—	शून्य
कुल भूमि	—	0.060 है०

प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सेतु निर्माण कार्य में कुल्हान प्रजाति का एक वृक्ष प्रगावित होगा, जिसका सेतु निर्माण कार्य में पातन किया जाना अति आवश्यक है।

 अनुभव विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि० उत्तरकाशी	 करणजित अभियन्ता विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि० उत्तरकाशी	 रघवेन्द्र अभियन्ता विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि० उत्तरकाशी	 अधिकारी अभियन्ता विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि० उत्तरकाशी
---	---	---	--

 अनुभाग अधिकारी बागी, मुख्येम रेज	 वनस्पति अधिकारी मुख्येम रेज
--	---

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग

 राजस्व उपनिरीक्षक धौतरी/वभृ	 तुषार ललित दास झुण्डा
---	---

उपाधिकारी
झुण्डा, उत्तरकाशी

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का प्रभाण-पत्र

कार्य का नाम :-

जनपद उत्तरकाशी में उत्तराखण्ड डिजार्स्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत विश्व बैंक की अतिरिक्त फाइनैन्सिंग में रवीकृत दुष्टा ब्लॉक के बागी गाँव गाजाणा पैदल मार्ग पर जलकुर नदी के ऊपर 42 मी० रुपान रटील द्रुस पैदल सेतु के निर्माण हेतु सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भूमि का विवरण - उत्तराखण्ड सरकार १३(३)३.०

१. सेतु के दायें एबटमेंट निर्माण हेतु	= 15.00 x 10.00 मी० वर्ग मी० = 150.00 वर्ग मी०
२. सेतु के बायें एबटमेंट निर्माण हेतु	= 15.00 x 10.00 मी० वर्ग मी० = 150.00 वर्ग मी०
३. सेतु के दायें एवं बायें और सुरक्षात्मक कार्य हेतु	= 4.00 x 15.00 x 5.00 मी० = 300 वर्ग मी०
कुल भूमि	= 600 वर्ग मी०
	= 0.060 है०

योग = 0.060 है० उत्तराखण्ड सरकार (सिविल सोयम भूमि) का उपयोग किया जायेगा।

विश्व बैंक खण्ड, १००निर्विठ
उत्तरकाशी

कृष्ण अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड, १००निर्विठ
उत्तरकाशी

सहायक अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड, १००निर्विठ
उत्तरकाशी

अधिकारी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड, १००निर्विठ
उत्तरकाशी

वर्ध का नाम-

जनपद उत्तरकाशी में उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के अन्वर्ति विश्व बैंक की अतिरिक्त फाइनैन्सिंग में स्वीकृत दुष्टा लॉक के बागी गाँव गाजिणा पैदल गांव पर जलकुर नदी के ऊपर 42 सी 10 सान टील द्रस्त्र पैदल सेतु के निर्माण हेतु सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

खाता	भूमिधर का नाम	खसरा सं.	कुल रकमा	अद्याप्त रकमा
२१	उत्तराखण्ड सरकार 9(3)उ०	६७म् ३०म्	०.२०६ ०.००६	०.०२४ दौ. ०.००६ दौ.
३१.	उत्तराखण्ड सरकार 9(3)उ०	७५२म्	०.३१३	०.०३० दौ.

आगीन
विश्व बैंक खण्ड, लो०निं०वि०
उत्तरकाशी

किशोर अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड, लो०निं०वि०
उत्तरकाशी

राकेश कुमार अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड, लो०निं०वि०
उत्तरकाशी

आधिकारी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड, लो०निं०वि०
उत्तरकाशी

हसीलदार
दुष्टा, उत्तरकाशी

अनापन राजा पद

प्राचीन लिया जाता है कि माम - बाणी पहरी गांगा नदी के दोनों
के तटों पर विश्व वैकुण्ठ पीठा नदी वाणी गांगा नदी
पहरी नदी पर जलवर्ष नदी के ऊपर उत्तर समृद्धील देश
पूर्वोक्त के किसी भी देश मिथि नदी वाणी पहरी नदी
जलवर्ष वाणी के किसी भी देश मिथि नदी के किसी भी देश मिथि नदी


कहते हैं।

सामाजिक

सामाजिक ग्राम अमृत
उत्तराखण्ड समाज
राजनीति गतिशील

Rashtriya Biswamitra

तांत्रिक लकड़ी



27 अगस्त 2014

Naveen Bhatt

उत्तराखण्ड

सरकारी देश



श्रीमती

श्रीमती

श्रीमती

श्रीमती

श्रीमती

श्रीमती

श्रीमती

सुभाषिता

मोर्चा

रामेश्वर

आर्या

तेजस्वी

मातृत्व

विद्या

प्रिया

चंद्री

रामेश्वर

देवेश्वर

विद्या

मातृत्व

सामाजिक

प्रिया

विद्या

मातृत्व

खालील असेही 14.25 वर्षी 14.29 वर्षी

प्रतिक्रिया असेही 32.20 वर्षी 32.21 वर्षी जातील तो कैवळे तुमची नाही तुमची नाही

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	32.21	32.21	32.21	32.21	32.21	32.21	32.21	32.21	32.21	32.21	32.21	32.21	32.21	32.21	32.21	32.21	32.21	32.21	
3	6.62%																		
6	0.015																		
12	0.031																		
17	0.010																		
	X X X X																		
37	0.286																		
70	0.006																		
102	0.021																		
111	0.036																		
	X X X X																		
174	0.035																		
742	0.373																		
	X X X X																		
2463	0.034																		
2498	0.663																		
2500	0.145																		
2714	0.517																		

4/7/2019